प्रेस नोट 29/06/2024

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा अवधि व ₹2200 के अर्थदंड से हुया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ACJM/SD जनपद मऊ द्वारा दिनांक 29-06-2024 को मु0अ0सं0 480/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त राजू साहनी पुत्र जगदीश साहनी निवासी ककराडीह थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा अवधि एवं ₹2200 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 15 दिवस का साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी कमलेश भारती थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 28.06.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना रानीपुर पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर ताहिरापुर के पास से मु0अ0सं0 107/24 धारा 354 भादवि व 3/4 पॉक्सों एक्ट में वांछित दिलीप राजभर पुत्र तिरीथ राजभर निवासी गोपालपुर थाना रानीपुर तथा थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 177/24 धारा 376, 313 भादवि में वांछित अखिलेश कुमार पुत्र कलपू राजभर निवासी चकरा थाना हलधरपुर को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।